शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-15/2015/439/38-6-15-07(बी)/2015टीसी

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र, लखीमपुर-खीरी, देवरिया, मिर्जापुर, हरदोई, चन्दौली, बांदा, हमीरपुर, जालौन, बदायूं, बस्ती, बागपत, बिजनौर, अम्बेडकरनगर, इलाहाबाद, आगरा, हटावा, बहराइच, औरैया, शामली, आजमगढ, अलीगढ, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक-30 अप्रैल, 2015

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रभावी अनुश्रवण एवं समीक्षा किये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एनआरएलएम)/दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक large scale process intensive community driven गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजना है। प्रदेश में इस योजना का संचालन दि0-01.04.2013 से किया जा रहा है। इस योजना का संचालन इन्टेन्सिव रूप से 22 जनपदों के 22 विकास खण्डों में चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का बीजा रोपण का महत्वपूर्ण कार्य जीविका बिहार एवं सर्प (SERP) तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश के सहयोग से किया जा रहा है। उक्त जनपदों के इन्टेन्सिव विकास खण्डों में वाह्य कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (CRP) द्वारा किये गये कार्य अत्यन्त सफल साबित हो रहे हैं एवं ग्रामीण महिलाओं द्वारा इनकी भरपूर सराहना की जा रही है। इन इन्टेन्सिव विकास खण्डों में किया जा रहा कार्य आगामी समय में योजना को आगे बढाने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। बांदा, हमीरपुर, जालौन, हरदोई एवं देवरिया के एक-एक इन्टेन्सिव विकास खण्ड में राजीव गांधी महिला विकास परियोजना (RGMVP) द्वारा गठित ब्लाक फेडरेशन एवं उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'प्रेरणा' के मध्य हुए त्रिपक्षीय अनुबन्ध के अनुसार

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। आरम्भिक दौर में इन इन्टेन्सिव विकास खण्डों में सुचारू रूप से कार्य किये जाने की स्थिति में एक इन्टेन्सिव विकास खण्ड में आगामी 5 वर्षों में 20 अन्य विकास खण्डों में योजना संचालित करने हेतु अपेक्षित सामाजिक पूंजी सृजित की जा सकेगी। अत: आपके स्तर से निम्नलिखित बिन्दुओं पर व्यक्तिगत रूप से सतत् अनुश्रवण/समीक्षा किया जाना अपरिहार्य है:-

1- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु एक समर्पित कार्यालय की स्थापना जनपद एवं ब्लाक स्तर पर किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए पूर्व में मिशन द्वारा आपके जनपद को पर्याप्त धनराशि आवंटित की जा चुकी है। जिन जनपदों एवं इन्टेन्सिव विकास खण्डों में अभी तक निर्धारित अवस्थापना सुविधाओं सहित कार्यालय स्थापित नहीं किये गये है, उन जनपदों में तत्काल एक माह के अन्दर यह कार्य सम्पन्न कर लिया जाए।

2- जनपद एवं ब्लाक स्तर पर समर्पित जिला मिशन प्रबन्धन इकाई(DMMU) एवं ब्लाक मिशन प्रबन्धक इकाई(BMMU) में खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर चयनित कर अपेक्षित स्टाफ की तैनाती कर दी गयी है। इन कार्मिकों द्वारा इन्टेन्सिव विकास खण्डों के चयनित ग्रामों में यथासम्भव कम्युनिटी रिसोर्स पर्सनस के सहयोग से स्वयं जाकर उच्च कोटि के महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना है ताकि ग्राम के प्रत्येक गरीब परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य संबंधित स्वयं सहायता समूह की सदस्या बन सके। तदोपरान्त समस्त स्वयं सहायता समूहों द्वारा पंचसूत्र के तहत बैंक में खाता खोलने, मौलिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने, कप्यूनिटी फण्ड प्रदान किये जाने एवं बैकों द्वारा ण उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जाए। इन समस्त गतिविधियों का ससमय क्रियान्वयन एवं समूह/बी0ओ0/फेडरेशन को अपेक्षित समय में फण्ड उपलब्ध कराया जाना कार्यक्रम की सफलता हेतु नितान्त आवश्यक है। कार्य की विस्तीर्णता के दृष्टिगत इन कार्मिकों द्वारा एक समय में कतिपय चयनित ग्रामों में ही कार्य किया जा सकेगा, जिससे योजनान्तर्गत गुणात्मक परिणति प्राप्त हो सके।

3- वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तर पर पृथक से किसी लेखाकार अथवा लिपिक की व्यवस्था नहीं की गयी है। अत:

http://shasanadesh.up.nic.in

यह अनिवार्य है कि डी0आर0डी0ए0 के स्टाफ से ही एनआरएलएम के कार्यों हेतु आवश्यक कार्मिक उपायुक्त स्वत: रोजगार, एनआरएलएम/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के साथ सम्बद्ध कर दिये जाएं। मिशन द्वारा आगामी एक माह के अन्दर सेवाप्रदाता के माध्यम से प्रत्येक जनपद में एक समर्पित फाइनेंसियल कंन्सल्टैन्ट की सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है, जिससे योजना के संचालन में सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त जनपद में तैनात समस्त प्रोफेशनल्स एवं जीविका बिहार/सर्प तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश द्वारा भेजे गये कार्मियों का वेतन, टी0ए0/डी0ए0 एवं अन्य भत्तों का ससमय भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ये कर्मी केवल उपायुक्त स्वत: रोजगार, एनआरएलएम/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगे। शासनादेश सं0-3/282/38-6-15-9(एसआरएलएम)/15, दि0-03.03 2015 द्वारा पूर्व में ही उपायुक्त स्वत: रोजगार, एनआरएलएम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के कार्यों के अतिरिक्त कोई और प्रभार न दिये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के साथ ही साथ व्यवस्था(Systems) एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन से संबंधित समस्त पहलुओं की गुणात्मक समीक्षा करने हेतु इन निर्देशों के साथ चेक लिस्ट संलग्न कर भेजी जा रही है(संलग्नक-1 एवं 2)। इसमें प्रदत्त प्रारूप पर योजना की प्रगति की समीक्षा पाक्षिक रूप से की जाए। प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विगत माह की अद्यतन सूचना उपरोक्त संलग्न दोनों चेकलिस्टों में दिये गये प्रारूप पर भेजी जाए तथा जनपदवार संलग्न सूची (संलग्नक-3) में अंकित ई-मेल पर भेजे जा रहे Google Spread Sheet के लिंक पर अपलोड की जाए और उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को उपलब्ध करायी जाए।

समस्त संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा भी इन्टेन्सिव जनपदों एवं इन्टेन्सिव विकास खण्डों की समीक्षा संलग्न चेक लिस्ट के आधार पर मासिक रूप से की जाए। अन्तत: योजना की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए प्रत्येक माह की 15 तारीख तक समस्त 22 इन्टेन्सिव जनपदों से संलग्न प्रारूप पर सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को आयुक्त, ग्राम्य विकास/

http://shasanadesh.up.nic.in

सी0ई0ओ0, एनआरएलएम के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए।

अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों/निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही ससमय सम्पादित करते हुए उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-439(1)/38-6-15 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संबंधित समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- संबंधित उपायुक्त स्वत: रोजगार/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उ0प्र0।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in